सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 764 राँची, शनिवार

2 कार्तिक, 1937 (श०)

24 अक्टूबर, 2015 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

संकल्प

14 सितम्बर, 2015

1. आयुक्त, उ0छो0 प्रमंडल, हजारीबाग का पत्रांक-228/गो0, दिनांक 24 मार्च, 2013 एवं पत्रांक-3816/स्था0, दिनांक 05 अगस्त, 2013

2. कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची का पत्रांक-3434, दिनांक 25 अप्रैल, 2013, पत्रांक-10602, दिनांक 01 नवम्बर, 2013 एवं संकल्प संख्या-4926, दिनांक 08 जून, 2013

3. श्री अशोक कुमार सिन्हा, सेवानिवृत भा0प्र0से0, विभागीय जाँच पदाधिकारी, झारखण्ड का पत्रांक-609, दिनांक 20 नवम्बर, 2014

संख्या-5/आरोप-1-420/2014 का॰- 8245 श्रीमती मनीषा वत्स, झा0प्र0से0 (तृतीय बैच, गृह जिला- पटना), प्र0वि0पदा0, गोमिया, बोकारो के विरूद्ध आयुक्त, उ0छो0 प्रमंडल, हजारीबाग

के पत्रांक-228/गो0, दिनांक 24 मार्च, 2013 द्वारा प्रपत्र- 'क' में आरोप गठित कर उपलब्ध कराया गया है। प्रपत्र- 'क' में इनके विरूद्ध निम्नवत् आरोप प्रतिवेदित किये गये हैं:-

1. प्रखण्ड कार्यालय गोमिया में वर्ष 2009 से अब तक प्रत्येक प्रखण्ड विकास पदाधिकारी के कार्यकाल में नये सामान्य रोकड़ पंजी का संधारण किया गया है। संधारण के क्रम में पूर्व के रोकड़ पंजी अवशेष को नजरअंदाज कर प्रत्येक बार बैंक से कैश डिटेल लेकर नये रोकड़ पंजी का संधारण किया गया है। कैश बुक डिटेल तथा कैश डिटेल का मिलान नहीं किया गया है तथा पदाधिकारी के द्वारा कैश बुक पर हस्ताक्षर भी अंकित नहीं किया गया है, जिससे प्रमाणित होता है कि प्रखण्ड नजारत में अनियमितता बरती गयी है। इसी तरह छात्रवृति, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, नक्सल इंदिरा आवास, सामान्य इंदिरा आवास के रोकड़ पंजियों, अभिश्रव तथा अस्थाई अग्रिम में भी अनियमितता बरती गयी है। श्रीमती वत्स का न तो नजारत पर कोई नियंत्रण है और न ही योजना कार्यों पर। इस संबंध में कार्यालय ज्ञापांक-1070/स्था0, दिनांक 17 दिसम्बर, 2012 द्वारा श्रीमती वत्स से स्पष्टीकरण की माँग की गयी, जो उनके द्वारा समर्पित नहीं किया गया।

2. श्रीमती मनीषा वत्स, प्र0वि0पदा0, गोमिया द्वारा डा. सुरेश कुमार, प्रखण्ड पशुपालन पदाधिकारी, गोमिया के माह, जुलाई 2012 का वेतन लगभग दो माह से निकासी कर उनकों भुगतान नहीं किया गया। साथ ही, डा. कुमार के माह अगस्त एवं सितम्बर, 2012 का वेतन विपत्र भी नहीं बनवाया गया। अनुमंडल पदाधिकारी के सामने श्रीमती वत्स द्वारा भूमि सुधार उप समाहर्ता, बेरमो, तेनुघाट को कहा गया कि- "जो मन में है, रिपोर्ट कीजिए। मैं वेतन नहीं दूँगी।" डा. कुमार को निर्वाचन कार्य में प्रतिनियुक्त किये जाने के कारण बदले की भावना से श्रीमती वत्स द्वारा उन्हें प्रताड़ित किया गया। श्रीमती वत्स द्वारा उच्चाधिकारियों का आदेश नहीं मानना, स्वेच्छाचारिता एवं मनमानीपूर्वक कार्य करना तथा निर्वाचन जैसे महत्वपूर्ण कार्यों को जानबूझकर बाधित करने का प्रयास किया गया है।

3. दिनांक 14 नवम्बर, 2012 को उप विकास आयुक्त, बोकारो के औचक निरीक्षण के क्रम में पाया गया कि श्रीमती वत्स बिना पूर्वानुमति के कार्यालय से अनुपस्थित थी।

इंदिरा आवास योजना के लक्ष्य के विरूद्ध काफी कम लाभुकों को प्रथम किस्त की राशि वितरित की गयी। वित्तीय वर्ष 2012-13 के लक्ष्य 1874 के विरूद्ध दिनांक 14 जनवरी, 2012 तक मात्र 21 लाभुकों को ही प्रथम किस्त की राशि का भुगतान किया गया। कार्यालय में उपलब्ध कम्प्यूटर, स्केनर एवं अन्य विधुत उपकरण कई महीनों से खराब पाया गया, जिसके अभाव में कार्यालय कार्य बाधित पाया गया, जो कर्तव्यहीनता, अनुशासनहीनता एवं लापरवाही का द्योतक है ।

4. विभिन्न योजनाओं यथा- इंदिरा आवास में असंतोषजनक प्रगति तथा कार्य में शिथिलता बरतने के आरोप में भी श्रीमती वत्स से कई बार स्पष्टीकरण पूछा गया है। साथ ही समय-समय पर अधोहस्ताक्षरी द्वारा कार्य प्रणाली में सुधार लाने हेतु निदेशित भी किया गया है परन्तु इनके द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित नहीं किया गया है और न ही कार्य प्रणाली में संतोषजनक सुधार किया गया, जो सरकारी सेवक के आचरण के प्रतिकूल है।

उक्त आरोपों के लिए श्रीमती वत्स से विभागीय पत्रांक-3434, दिनांक 25 अप्रैल, 2013 द्वारा स्पष्टीकरण की माँग की गयी, जिसके अनुपालन में इनके पत्र, दिनांक 14 मई, 2013 द्वारा अपना स्पष्टीकरण समर्पित किया गया, जिसके समीक्षोपरान्त विभागीय संकल्प संख्या-4926, दिनांक 08 जून, 2013 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी, जिसमें श्री अशोक कुमार सिन्हा, सेवानिवृत भा0प्र0से0, विभागीय जाँच पदाधिकारी, झारखण्ड को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

पुनः, आयुक्त, उ0छो0 प्रमंडल, हजारीबाग के पत्रांक-3816/स्था0, दिनांक 05 अगस्त, 2013 द्वारा श्रीमती वत्स के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोपों के आधार पर विभाग द्वारा पूरक प्रपत्र- 'क' गठित किया गया, जिसमें इनके विरूद्ध निम्नवत् आरोप हैं:-

उपायुक्त, बोकारो के निदेशानुसार अनुमंडल पदाधिकारी, बेरमो, तेनुघाट द्वारा दिनांक 18 अप्रैल, 2013 को श्री अनिल कुमार सिंह, भूमि सुधार उपसमाहर्ता, बेरमो तथा श्री संजय कुमार, प्रभारी अंचल अधिकारी, गोमिया के साथ गोमिया प्रखण्ड का जाँच किया गया। जाँच के सदर्भ में प्रखण्ड के संबंधित प्रधान सहायक, नाजिर, योजनाओं से संबंधित सहायक,

प्रखण्ड कार्यक्रम पदाधिकारी एवं अन्य कर्मियों से पूछताछ किया गया तथा उनका बयान दर्ज किया गया। साथ ही संबंधित कागजातों तथा कैश बुक, चेक निर्गत पंजी, योजना पंजी, चेक बुक एवं अन्य कागजातों का अवलोकन किया गया। जाँच में निम्न अनियमितताएँ पायी गयी:-

1. जाँच में प्रथम दृष्ट्या यह आरोप प्रमाणित पाया गया कि श्रीमती मनीषा वत्स, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, गोमिया द्वारा दिनांक 04 अप्रैल, 2013 से अवकाश में जाने के आवेदन देने के बाद भी दिनांक 16 अप्रैल, 2013 तक गोमिया के अपने आवास में छूपकर गोपनीय तरीके से प्रखण्ड नाजिर, कुछ मुखियों एवं कर्मियों के साथ मिलकर इंदिरा आवास योजनाओं में बड़ी राशि का चेक निर्गत किया गया है। इस बात की पुष्टि प्रखण्ड नाजिर श्री अशोक कुमार सिन्हा एवं सहायक, श्री वासुदेव प्रजापति के लिखित बयान से होता है।

2. प्रखण्ड नाजिर ने स्वीकार किया कि वे प्रखण्ड विकास पदाधिकारी के मौखिक आदेश के आलोक में दिनांक 10 अप्रैल, 2013 को सादा चेक बुक, चेक निर्गत पंजी एवं अन्य कागजात कार्यवाहक सहायक श्री वासुदेव प्रजापति को सौंप दिया था। पुनः दिनांक 12 अप्रैल, 2013 को भरा हुआ एवं प्रखण्ड विकास पदाधिकारी से हस्ताक्षरित चेक एवं अन्य कागजात तैयार कराकर श्री प्रजापति ने उन्हें बैंक में भेजने हेतु वापस कर दिया। श्री प्रजापति का कहना है कि अधिकांश अभिलेख प्रखण्ड विकास पदाधिकारी के आवास में संबंधित मुखियों ने तैयार किया। वे तो सिर्फ प्रखण्ड विकास पदाधिकारी के आदेश का अनुपालन किया है।

3. जाँच के क्रम में पंचायत सेवक श्री विरेन्द्र कुमार मंडल द्वारा बताया गया कि दिनांक 31 जनवरी, 2013 की तिथि से मो0-3,39,500/- रू0 (तीन लाख उन्चालीस लाख पाँच सौ रूपये) का निर्गत चेक उनको बैंक में भेजने हेतु दिनांक 16 अप्रैल, 2013 को दिया गया, जिसे बैंक द्वारा डिसओनर कर दिया गया तथा लाभुकों का भुगतान जाँच की तिथि तक नहीं हुआ है ।

4. पंचायतों में मनरेगा की राशि खत्म होने के कारण प्रखण्ड से पंचायतों में राशि हस्तान्तरण हेतु बी0पी0ओ0/रोजगार सेवकों द्वारा बार-बार अनुरोध करने के बावजूद हस्तान्तरण हेतु दिनांक 08 अप्रैल, 2013 को भरा हुआ चेक प्रखण्ड विकास पदाधिकारी द्वारा हस्ताक्षर नहीं किया गया तथा कहा गया कि वे छुट्टी में हैं। जबकि अन्य योजनाओं का चेक हस्ताक्षर किया गया।

5. बैंकों की भूमिका भी संदिग्ध है । प्रखण्ड से भेजे जाने वाले एडवाइस के साथ फारवार्डिंग पर न तो कोई निर्गत संख्या दर्ज है और न ही तिथि। बैंक द्वारा एडवाइस की प्राप्ति का भी कोई तिथि दर्ज नहीं पाया गया ।

6. प्रखण्ड विकास पदाधिकारी द्वारा चेकों पर कई तरह के अलग-अलग हस्ताक्षर किया गया है। जाँच के समय पाया गया कि इलाहाबाद बैंक, जागेश्वर शाखा, बैंक ऑफ़ इण्डिया, साड़म बाजार, भारतीय स्टेट बैंक, गोमिया एवं ग्रामीण बैंक, जरकुण्डा शाखा के कुल 34 चेक जिसमें राशि-98,62,300/- रू0 (अन्ठानवे लाख बासठ हजार तीन सौ रूपये) है, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी द्वारा भिन्न-भिन्न तिथियों में हस्ताक्षरित है, बैंकों में नहीं भेजा गया है। कुल-30,37,730/- रू0 (तीस लाख सैंतीस हजार सात सौ बीस रूपये) का भरा हुआ पाँच चेक बिना हस्ताक्षर का है।

7. उक्त चारों बैंकों के कुल-57 चेक निर्गत कर बैंकों को भुगतान हेतु भेजा गया है, जिसका ब्यौरा चेक निर्गत पंजी या अन्य कागजातों से पता नहीं चलता है कि उन चेकों में कितनी राशि निहित है और कब निर्गत किया गया है।

विभागीय पत्रांक-10602, दिनांक 01 नवम्बर, 2013 द्वारा उक्त पूरक प्रपत्र- 'क' को श्रीमती वत्स के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही में इसे भी सम्मिलित करने हेतु श्री अशोक कुमार सिन्हा, सेवानिवृत भा0प्र0से0, विभागीय जाँच पदाधिकारी, झारखण्ड को भेजा गया ।

श्री सिन्हा के पत्रांक-609, दिनांक 20 नवम्बर, 2014 द्वारा श्रीमती वत्स के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही का जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया, जिसमें आरोपों को प्रमाणित पाया गया है ।

श्रीमती वत्स के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप, इनके बचाव बयान तथा संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन की समीक्षा की गई। समीक्षा में पाया गया है कि श्रीमती वत्स, तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, गोमिया, बोकारो द्वारा अपने पूर्ववर्ती पदाधिकारी से प्रभार नहीं लेकर नयी रोकड़ पंजी खोली गयी है, जो स्थापित वित्तीय नियमों के विपरीत है। इनके विरूद्ध कार्य में लापरवाही, सरकारी कार्यों का अनुश्रवण नहीं करने, रोकड़ बही का मासिक भौतिक सत्यापन नहीं करने इत्यादि आरोप प्रमाणित होते हैं। इनके द्वारा एक गैर जिम्मेवार पदाधिकारी की तरह आचरण किया गया है।

समीक्षोपरान्त, उक्त प्रमाणित आरोपों हेतु श्रीमती वत्स की सेवा-सम्पुष्टि की अर्हता प्राप्त करने के बाद इनकी परीक्ष्यमान अवधि को दो वर्ष के लिए बढ़ाया जाता है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,
प्रमोद कुमार तिवारी,
सरकार के उप सचिव ।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 764—50 ।